बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

ज्ञापांक–ह0क0(13)विविध–25/2017 366 पटना, दि0–5/3/2018

प्रतिलिपि– महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा/गया/नवादा/मधुबनी/औरंगाबाद/दरभंगा/सीवान/रोहतास/कैमूर/भागलपुर/मुजफ्फरपुर/पटना/बांका/उप विकास पदा0(वस्त्र),भागलपुर/गया/ मुजफ्फरपुर/दरभंगा/सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (हस्तकरघा) राजेन्द्रनगर, पटना/बुनकर सहयोग समितियाँ, गुलजारबाग, पटना/सहायक उद्योग निदेशक(रे0), पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि संलग्न पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई कर निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराई जाय।

27/02/18
उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–ह0क0(13)विविध–25/2017 366 पटना, दि0–5/3/2018

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र को अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाय।

27/02/18
उप उद्योग निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

(10)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग
पटना/दिनांकः– 07-02-18

पत्रांकः– 497
01/उ0ब0(स0)विविध(संचित राशि की जाँच)–10/2017

प्रेषक

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।
उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना।
निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना।
उप सचिव–सह–प्रभारी लेखा–शाखा/प्रभारी प्रशाखा–5(स0) एवं 6 (स0),
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

महत्वपूर्ण
स्मार

विषयः– **बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने एवं इसकी समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– ***मुख्य सचिव का पत्रांक 8978/वि0 दि0 17.11.2017, प्रधान सचिव, वित्त विभाग का पत्रांक 1144/वि0 दि0 20.11.2017, वित्त विभाग अर्द्धस0प0सं0 5200 दि0 05.12.17, 699/वि0 दिनांक 29.01.2018 एवं 782 दिनांक 01.02.18, उद्योग विभाग का पत्रांक 4990 दि0 22.11.2017, 5352 दिनांक 14.12.17, स्मार पत्रांक 5491 दिनांक 26.12.17 एवं 309 दिनांक 23.01.18।***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 8979/वि0 दि0 17.11.17 एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्रों एवं तदनुसार विभागीय पत्रों/स्मार पत्रों का कृपया निदेश किया जाय। मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में उद्योग विभाग एवं अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग स्तर से करते हुए जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है, उन्हें बन्द कर उसमें संचित राशि, जिसके व्यय की संभावना 31.03.18 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराये जाने का निदेश दिया गया था। वित्त विभागीय पत्रांक 699/वि0 दिनांक 29.01.18 द्वारा अव्यवहृत राशि को समेकित निधि में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31.12.17 को विस्तारित कर 31.01.18 तक किया गया था। उक्त निदेश के बावजूद भी विभाग को अधिनस्थ/क्षेत्रीय कार्यालयों से समेकित निधि में जमा कराये जाने से संबंधित पूर्ण समेकित प्रतिवेदन विभाग को अबतक अप्राप्त है।

वित्त विभाग के पत्रांक 782/वि0 दिनांक 01.02.18 द्वारा समेकित निधि में राशि जमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि 31.01.18 को विस्तारित करते हुए 07.02.18 तक कर दिया गया हैं (प्रति संलग्न)।

अतएव आग्रह है कि ततसंबंधी मुख्य सचिव महोदय एवं वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेशों के आलोक में बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को उक्त विस्तारित तिथि तक राज्य के समेकित निधि में निश्चित रूप से जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही अपने निदेशालय अंतर्गत कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय/जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त प्रतिवेदनों का अपने स्तर से पूर्ण समीक्षा कर समेकित रूप से प्रतिवेदन विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय

कृपया, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंगें।

अनु0:–यथोक्त

विश्वासभाजन,

अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अपर सचिव का कोषांग
05 FEB 2018
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Addl. Secy
246
123

पत्र सं0-एम-4-07/2017(खंड)-782/वि0

प्रधान सचिव का कोषांग
02 FEB 2018
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

जयन्त कुमार सिंह,
अपर सचिव ।

81
2-2-18

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग,
बिहार, पटना ।

No-79728
2-2-18

पटना, दिनांक- 01-2-18

विषयः- बैंक खाता में संचित एवं अव्यवहृत राशि को राज्य के समेकित निधि में जमा करने के संबंध में ।

504/IDC
5/2/18

महाशय,

उपरोक्त विषयक कृपया मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 8978/वि० दिनांक 17.11.2017 के द्वारा सभी विभागों/प्रमंडलों/जिलों द्वारा संधारित बैंक खातों की समीक्षा विभाग के स्तर पर करते हुए जिन बैंक खातों का संधारण आवश्यक नहीं है, उन्हें बंद कर उनमें संचित राशि, जिसके व्यय की संभावना दिनांक 31.03.2018 तक नहीं है, को राज्य की समेकित निधि में दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराये जाने का निदेश दिया गया था । वित्त विभागीय पत्रांक 699/वि० दिनांक 29.01.2018 के द्वारा अव्यवहृत राशि को समेकित निधि में जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31.12.2017 को विस्तारित करते हुए दिनांक 31.01.2018 तक किया गया था । उक्त निदेश के बावजूद अव्यवहृत राशि को समेकित निधि में जमा कराये जाने की गति संतोषजनक नहीं है । विभिन्न विभागों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) द्वारा बैंक खातों में संधारित राशि 18,003.99 करोड़ रुपये के विरुद्ध मात्र 1,588.35 करोड़ रुपये ही समेकित निधि में जमा हुए है, जिससे संबंधित विवरणी पत्र के साथ संलग्न है ।

437/AS
05/02/18

समेकित निधि में राशि जमा कराने की निर्धारित अंतिम तिथि 31.01.2018 को विस्तारित करते हुए 07.02.2018 तक कर दिया गया है । इस विस्तारित तिथि 07.02.2018 तक बैंक खातों में संचित एवं अव्यवहृत राशि को समेकित निधि में जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में विभागों/प्रमंडलों/जिलों के संबंधित कार्यालयों द्वारा कोषागार से संचालित वित्तीय संव्यवहार बंद कर दिया जायेगा ।

0-I
आज ही
06/02/2018

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(जयन्त कुमार सिंह)
अपर सचिव ।

36/वि0-1
6-2-18

DEPARTMENTWISE DETAILS OF AMOUNT KEPT IN BANK ACCOUNT

(Date- 30-01-2018)

S.No.	Department	No. of Bank Accounts	Amount kept in Bank Accounts (Rs. in Crore)	Amount Deposited in Consolidated Fund (Rs. in Crore)
1	**Revenue and Land Reforms Department**	2323	4,406.18	43.86
2	**Social Welfare Department**	2446	1,850.73	123.51
3	**SC & ST Welfare Department**	657	1,836.89	394.90
4	**Education Department**	1782	1,525.06	117.44
5	**Rural Development Department**	13325	1,326.80	31.32
6	**Registration ,Excise and Prohibition Department**	215	1,257.08	0.06
7	**Health Department**	3138	939.55	16.06
8	Panchayati Raj Department	520	682.90	8.50
9	Agriculture Department	1441	605.27	82.66
10	General Administration Department	878	490.37	0.97
11	Planning and Development Department	851	466.68	14.85
12	Urban Development and Housing Department	667	315.31	176.23
13	Backward Community and MBC Welfare Department	41	264.06	141.04
14	Water Resources Department	145	247.65	0.14
15	Co-operative Department	286	204.68	2.91
16	Rural Works Department	330	166.03	26.03
17	Animal and Fisheries Resource Department	370	142.64	7.74
18	Labour Resource Department	275	132.72	0.65
19	Minorities Welfare Department	221	68.29	21.36
20	Minor Water Resources Department	18	49.78	1.37
21	Science and Technology Department	285	49.69	0.03
22	Home Department	208	47.44	3.03
23	Law Department	80	42.95	0.15
24	Road Construction Department	161	39.09	0.00
25	Public Health Engineering Department	64	34.05	29.15
26	Disaster Management Department	85	33.29	11.79
27	Transport Department	65	28.41	0.01
28	Environment and Forest Department	53	26.86	0.59
29	Industries Department	53	23.89	37.74
30	Energy Department	8	20.19	46.61
31	Food and Consumer Protection Department	10	18.03	0.79
32	Mines and Geology Department	7	15.80	-
33	Election Department	105	14.07	7.89
34	Tourism Department	2	11.72	0.20
35	Art , Culture and Youth Department	31	11.51	0.95
36	Sugarcane Industries Department	22	3.28	0.23
37	Building Construction Department	36	1.67	1.27
38	Information and Public Relation Department	23	1.18	0.06
39	Commercial Tax Department	63	1.04	0.06
40	Cabinet Secretariat Department	9	0.25	0.21
41	Finance Department	47	0.08	0.17
42	Parliamentary Affairs Department	1	0.01	0.00
43	Vigilance Department	1	0.00	0.00
44	Information Technology Department	1	-	-
45	कार्यालय / विभाग जिसकी पहचान नहीं की जा सकी है	337	600.79	198.81
46	Interest		-	37.01
	Total	31,686	18,003.99	1,588.35